न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 107 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. नारायण प्रसाद पुत्र जेठारामजी	बनाम	1.जेठाराम पुत्र धुडारामजी कौम
2. अशोककुमार पुत्र जेठारामजी		प्रजापत निवासी वार्ड संख्या 45
3. कमलकिशोर पुत्र जेठारामजी		बालोतरा तहसील पचपदरा जिला
4. ओमप्रकाश पुत्र जेठारामजी कौम		बाड़मेर
प्रजापत सभी निवासीयान		2.सभापति / आयुक्त नगरपरिषद
बालोतरा तहसील पचपदरा		बालोतरा
जिला बाड़मेर		3.राजस्थान सरकार जरिये
		तहसीलदार पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के राजस्व विविध संख्या 170 / 2020 बअनवान जेठाराम बनाम नारायण प्रसाद वगै. में पारित आदेश दिनांक 09.10.2021।

उपस्थित

1. वकील श्री चेलाराम कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री जेठुलाल कुमावत रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 06.04.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 1090 / 418 रकबा 13.07 बीघा सरहद मौजा जेरला पटवार हल्का रामसीन तहसील पचपदरा में आया हुआ है। जिसमें आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। कृषि उपयोग हेतु कटाण के मार्ग से खसरा संख्या 1240 / 455 रकबा 06.17 बीघा, खसरा संख्या 2239 / 445 रकबा 04.00 बीघा खसरा संख्या 1015 / 432 रकबा 22.14 बीघा मौजा जेरला मे से 20 फीट चौडा रास्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 1090 / 418 तक माफिक नक्शा परिशिष्ट "अ" के A से B वरंग लाल अपने खातेदारी के खेत में कृषि उपयोग हेतु आने जाने हेतु रास्ता घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन

आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि हस्तगत प्रकरण का निर्णय दिनांक 09.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प सामरीन में अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट को अपने खेत में आने–जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के खेत में से रास्ता काट कर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के आराजी में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उसमें वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध नहीं किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 01 जेठाराम द्वारा चाहा गया रास्ता अकेला अपीलांटगण के खेत में से नहीं है। यह रास्ता कई खेतों की सीमा पर कायम किया हुआ है। इस रास्ते की अविच्छिन्नता (Continuity) के लिए कुछ खातेदारों ने अपनी अभिवृति का राज्य हक में समर्पण किया जिससे राजकीय सिवायचक दर्ज भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग ली जा सके लेकिन प्रस्तावित रास्ता खसरा

संख्या 1080/447 की सीमा तक प्रस्तावित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिशिष्ट 'अ' का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि खसरा संख्या 1080/447 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया प्रतीत नहीं होता है, तथा न ही खसरा संख्या 1080/447 के खातेदारों को पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया। पत्रावली पर ऐसा कोई राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है जिससे खसरा संख्या 1080/447 में कोई रास्ता प्रस्तावित किया गया साबित होता हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया गया जबकि पत्रावली को कैम्प कोर्ट में रखने बाबत अपीलांटगण को कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के राजस्व विविध संख्या 170/2020 बअनवान जेठाराम बनाम नारायण प्रसाद वगै. में पारित आदेश दिनांक 09.10.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशन की पालना करते हुए अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, खसरा संख्या 1080/447 के खातेदारों को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 की धारा 251 ए को प्रभाव देने के लिये बनाये गये नियम 69 एवं 70 की पूर्णतया पालना करते हुये अधिकतम तीन माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाई गई उसको आगामी आदेश में समायोजित किया जावे। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.05.2022 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर